

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3161
जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है
हरित राजमार्ग नीति का कार्यान्वयन

3161. श्री अभिमन्यु सेठी:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं में पुनर्चक्रित सामग्री, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट और फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या हैं और इन हरित राजमार्गों की संरचनात्मक सुदृढ़ता किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है;
- (ख) सरकार का सड़क किनारे अनिवार्य वनीकरण/वृक्षारोपण सहित हरित राजमार्ग नीति का तेजी से कार्यान्वयन किस प्रकार करने का विचार है;
- (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षों की उत्तरजीविता दर को सत्यापित करने वाली तृतीय-पक्ष संपरीक्षा प्रणाली का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में प्रमुख फुटपाथ निर्माण कार्यों में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए सामग्री की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस्पात मंत्रालय और इस्पात उद्योगों के साथ किस प्रकार समन्वय कर रहा है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में पुनर्चक्रित सामग्री, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण संबंधी (सी और डी) अपशिष्ट और फ्लाई ऐश का उपयोग करने के लिए लक्ष्य की गई राज्यों की सूची **अनुलग्नक 1** में संलग्न है।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और पायलट परियोजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन सहित स्वदेशी अनुसंधान के परिणाम के आधार पर, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा नए मानक/दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं और राजमार्ग निर्माण में अपशिष्ट के उपयोग को आसान बनाने के लिए आईआरसी के मौजूदा मानकों/दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(ख) एनएचएआई के हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव) नीति-2015 के अनुसार, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की उपलब्ध अधिशेष मीडियन और सड़क के किनारे भूमि पर

वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। आईआरसी:एसपी:21-2009 दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना क्षेत्र के कृषि-जलवायु क्षेत्र के दिशानिर्देशों और प्रजातियों के मैट्रिक्स के अनुसार वार्षिक वृक्षारोपण कार्य योजना के तहत एवेन्यू और मीडियन पर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं।

हरित राजमार्ग नीति 2015 में सभी राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और रियायत अनुबंधों में हरित घटक को शामिल करने का आदेश दिया गया है।

मंत्रालय ने हरित राजमार्ग नीति-2015 के लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर 524.68 लाख वृक्ष लगाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

इसके अलावा, क्षेत्र में वृक्षारोपण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए "एक पेड माँ के नाम 2.0" जैसे अभियान का आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू किया गया था। वृक्षारोपण वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक, 58.82 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।

(ग) एनएचआई ने तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षा (ऑडिट) प्रणाली का उपयोग करके पौधे उत्तरजीविता दरों का आकलन नहीं किया है। हालांकि, एनएचआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधों की उत्तरजीविता दरों सहित वृक्षारोपण गतिविधियों की निगरानी के लिए अपने ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में अंतर्निहित एआई/एमएल (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग) के माध्यम से वृक्षारोपण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों की ड्रोन इमेजरी का विश्लेषण करने के लिए प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को सूचीबद्ध किया है। यह एक पायलट परियोजना है और अभी भी सुधार और विकास की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, एनआरएससी (नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर), हैदराबाद ने उच्च रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के लिए ग्रीन कवर (ग्रीन कवर इंडेक्स (जीसीआई) के रूप में संदर्भित) का एक व्यापक अखिल भारतीय अनुमान लगाया है।

इसके अतिरिक्त, एनएचआई फील्ड अधिकारियों के साथ स्वतंत्र इंजीनियरों/प्राधिकरण इंजीनियरों के माध्यम से नियमित आंतरिक निगरानी भी की जाती है।

(घ) सरकार ने परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/27/2024/एसएंडएएमपी;आर (पीएंडएएमपी;बी) (कंप्यूटर नंबर 243038) दिनांक 23.09.2024 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में प्रसंस्कृत शहरी ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, स्टील स्लैग और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट सामग्री के उपयोग पर नीति दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ड.) इस्पात संयंत्र के परामर्श से उपलब्धता के आधार पर इस्पात स्लैग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है।

“हरित राजमार्ग नीति का कार्यान्वयन” के संबंध में श्री अभिमन्यु सेठी और श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3161 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक-।

| क्र.स. | राज्य | निर्माण एवं ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट (एमटी) | पुनर्चक्रित सामग्री (एमटी) = रैप+प्लास्टिक+अन्य टिकाऊ सामग्री इत्यादि | फलाई ऐश (एमटी) |
|--------|-----------------|--|--|----------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0 | 19052.39 | 8188764 |
| 2 | असम | 0 | 7008 | 0 |
| 3 | बिहार | 0 | 465.93 | 9681302.64 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 0 | 12788.29 | 6754000 |
| 5 | दिल्ली | 400000 | 48784 | 0 |
| 6 | गुजरात | 9301 | 8065.08 | 118708.33 |
| 7 | हरियाणा | 315030.51 | 3,468.80 | 631720.99 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 16302.07 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 190000 | 76000 | 2500 |
| 10 | झारखंड | 0 | 105333.3 | 5187427.4 |
| 11 | कर्नाटक | 0 | 6762.85 | 1328 |
| 12 | केरल | 57600 | 148590.71 | 12853.28 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 750 | 663,249 | 5959269.62 |
| 14 | महाराष्ट्र | 8459 | 13788.96 | 371,852 |
| 15 | ओडिशा | 0 | 8700 | 12000000 |
| 16 | पंजाब | 0 | 2862.47 | 4679632.027 |
| 17 | राजस्थान | 0 | 1192.37 | 0 |
| 18 | तमिलनाडु | 3219 | 56961 | 1822918 |
| 19 | तेलंगाना | 2090 | 35165 | 2650000 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 10638.573 | 82213.64 | 8873105.378 |
| 21 | उत्तराखंड | 0 | 2235 | 1683.18 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 2000 | 22514 | 3810000 |
| | कुल(एमटी) | 999088.083 | 1325200.7905 | 70763366.915 |

“हरित राजमार्ग नीति का कार्यान्वयन” के संबंध में श्री अभिमन्यु सेठी और श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा दिनांक 18.12.2025 को पुछे गए लोकसभा आतारांकित प्रश्न सं. 3161 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक- II

| राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2015 -16 से 2025-26 (तक) का वृक्षारोपण विवरण (04 दिसंबर 2025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|--|--|--------|------|--|--------|------|--|--------|------|--|--------|------|---|--------|------|---|--------|-------------|------|-----------------------------------|
| क्र. सं. | राज्य | संचयी वृक्षारोपण का 3 वर्ष (2015-16 से 2017-18) मार्ग और मीडियन में वृक्षारोपण लाख में) | 2018-19 में वृक्षारोपण (मार्ग और मीडियन में वृक्षारोपण पौधों की सं. लाख में) | 2019-20 में वृक्षारोपण (मार्ग और मीडियन में वृक्षारोपण पौधों की सं. लाख में) | 2020-21 में वृक्षारोपण मार्ग और मीडियन वृक्षारोपण लाख में) | | | 2021-22 में वृक्षारोपण मार्ग और मीडियन वृक्षारोपण लाख में) | | | 2022-23 में वृक्षारोपण मार्ग और मीडियन वृक्षारोपण लाख में) | | | 2023-24 में वृक्षारोपण मार्ग और मीडियन वृक्षारोपण लाख में) | | | 2024-25 में वृक्षारोपण मार्ग और मीडियन वृक्षारोपण पौधों की सं. लाख में) | | | 2025-26 वृक्षारोपण में (तक 04वां दिसंबर 2025) (पौधे में एवेन्यू, मीडियन और भूमि | | | | कुल वृक्षारोपण प्रगति (2015-16 को |
| | | | | | मार्ग | मीडियन | कुल | मार्ग | मीडियन | कुल | मार्ग | मीडियन | कुल | मार्ग | मीडियन | कुल | मार्ग | मीडियन | कुल | मार्ग | मीडियन | भूमि पार्सल | कुल | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 6.34 | 1.47 | 4.8 | 1.22 | 1.79 | 3.01 | 0.50 | 1.17 | 1.67 | 0.58 | 1.00 | 1.58 | 0.58 | 0.55 | 1.14 | 0.89 | 1.22 | 2.11 | 1.50 | 2.64 | 0.07 | 4.22 | 26.34 |
| 2 | असम | 1.01 | 0.73 | 0.04 | 0.92 | 1.54 | 2.46 | 1.01 | 0.72 | 1.73 | 0.45 | 0.44 | 0.89 | 0.22 | 0.63 | 0.85 | 0.24 | 0.19 | 0.43 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 0.32 | 8.47 |
| 3 | बिहार | 1.62 | 0.64 | 0.93 | 0.68 | 0.04 | 0.72 | 1.07 | 0.96 | 2.03 | 0.65 | 1.47 | 2.12 | 1.15 | 1.23 | 2.38 | 2.10 | 1.75 | 3.85 | 1.42 | 0.71 | 0.00 | 2.12 | 16.41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 4 | छत्तीसगढ़ | 2.02 | 0.86 | 0.54 | 0.84 | 0.34 | 1.18 | 0.70 | 0.31 | 1.02 | 0.88 | 0.44 | 1.33 | 0.86 | 0.31 | 1.17 | 0.53 | 0.57 | 1.10 | 1.47 | 0.53 | 0.11 | 2.11 | 11.33 |
| 5 | दिल्ली | 0.5 | 5.5 | 0.02 | 1.33 | 0.80 | 2.13 | 2.80 | 6.71 | 9.50 | 2.18 | 1.26 | 3.44 | 2.47 | 1.13 | 3.60 | 7.45 | 1.50 | 8.95 | 2.38 | 1.32 | 0.10 | 3.80 | 37.45 |
| 6 | गुजरात | 4.96 | 0.65 | 1.06 | 1.20 | 1.58 | 2.78 | 0.58 | 1.80 | 2.38 | 2.41 | 2.10 | 4.51 | 1.61 | 2.08 | 3.69 | 2.45 | 3.38 | 5.83 | 1.73 | 2.38 | 0.07 | 4.18 | 30.04 |
| 7 | हरियाणा | 6.46 | 4.25 | 0.28 | 0.61 | 1.91 | 2.52 | 1.00 | 0.59 | 1.59 | 0.93 | 1.27 | 2.19 | 1.13 | 1.85 | 2.98 | 1.07 | 4.52 | 5.59 | 2.76 | 1.56 | 0.02 | 4.34 | 30.21 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 0.16 | 0.08 | 0.23 | 0.42 | 0.26 | 0.68 | 0.47 | 0.25 | 0.71 | 0.35 | 0.47 | 0.82 | 0.21 | 0.11 | 0.32 | 0.39 | 0.25 | 0.64 | 0.22 | 0.42 | 0.00 | 0.64 | 4.28 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 0.41 | 0.38 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.31 | 0.42 | 0.20 | 0.66 | 0.86 | 0.41 | 0.36 | 0.76 | 1.05 | 0.13 | 1.18 | 0.54 | 0.92 | 0.00 | 1.45 | 5.65 |
| 10 | झारखंड | 1.32 | 0.86 | 0.26 | 0.50 | 0.65 | 1.16 | 1.32 | 1.21 | 2.53 | 0.77 | 0.30 | 1.07 | 0.57 | 0.36 | 0.92 | 0.32 | 0.69 | 1.01 | 0.48 | 0.73 | 0.00 | 1.21 | 10.34 |
| 11 | कर्नाटक | 7.51 | 1.75 | 3.73 | 0.81 | 2.70 | 3.51 | 1.47 | 2.26 | 3.73 | 1.04 | 1.82 | 2.86 | 0.56 | 1.67 | 2.23 | 1.30 | 1.49 | 2.79 | 0.65 | 1.32 | 0.06 | 2.03 | 30.13 |
| 12 | केरल | 0.9 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | 0.33 | 0.04 | 0.20 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2.29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 13 | मध्य प्रदेश | 0.49 | 2.31 | 5.3 | 1.78 | 2.16 | 3.94 | 2.25 | 3.52 | 5.77 | 5.05 | 5.13 | 10.18 | 3.11 | 3.93 | 7.04 | 4.19 | 4.30 | 8.49 | 2.12 | 1.07 | 1.32 | 4.51 | 48.05 |
| 14 | महाराष्ट्र | 7.46 | 0.64 | 4.62 | 1.82 | 2.40 | 4.22 | 3.23 | 4.74 | 7.97 | 2.69 | 3.34 | 6.04 | 2.71 | 2.54 | 5.25 | 1.72 | 2.37 | 4.09 | 1.23 | 1.48 | 0.01 | 2.72 | 43.00 |
| 15 | ओडिशा | 2.91 | 2.04 | 1.73 | 1.84 | 1.06 | 2.90 | 2.43 | 1.35 | 3.78 | 1.88 | 1.52 | 3.40 | 1.23 | 1.45 | 2.68 | 0.71 | 1.82 | 2.53 | 0.88 | 2.19 | 0.00 | 3.07 | 25.05 |
| 16 | पंजाब | 3.98 | 0 | 1.98 | 2.55 | 2.26 | 4.81 | 2.15 | 0.81 | 2.96 | 1.12 | 1.34 | 2.45 | 1.33 | 1.00 | 2.33 | 1.55 | 2.81 | 4.36 | 2.42 | 1.96 | 0.12 | 4.51 | 27.39 |
| 17 | राजस्थान | 8.1 | 1.52 | 2.07 | 3.16 | 1.63 | 4.79 | 4.17 | 5.28 | 9.45 | 7.29 | 5.16 | 12.46 | 2.81 | 5.29 | 8.10 | 2.13 | 2.31 | 4.45 | 2.46 | 0.74 | 0.79 | 3.99 | 54.91 |
| 18 | तामिल तमिल नाडु | 6.44 | 1.82 | 2.92 | 1.19 | 1.67 | 2.86 | 0.93 | 1.54 | 2.47 | 1.03 | 1.52 | 2.55 | 1.27 | 1.35 | 2.62 | 2.92 | 1.27 | 4.20 | 1.40 | 1.48 | 0.00 | 2.87 | 28.74 |
| 19 | तेलंगाना | 3.09 | 0.18 | 0.59 | 1.76 | 1.51 | 3.27 | 0.64 | 1.54 | 2.18 | 0.65 | 2.09 | 2.74 | 0.36 | 0.39 | 0.74 | 0.31 | 0.47 | 0.78 | 0.74 | 1.01 | 0.21 | 1.96 | 15.54 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 6.74 | 3.8 | 3.56 | 1.76 | 4.55 | 6.31 | 1.67 | 3.75 | 5.41 | 3.25 | 3.02 | 6.27 | 2.80 | 2.02 | 4.81 | 2.03 | 1.50 | 3.53 | 1.05 | 2.18 | 0.59 | 3.82 | 44.26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 21 | उत्तराखंड | 0 | 0.52 | 0.15 | 0.64 | 1.46 | 2.10 | 1.40 | 0.73 | 2.12 | 0.70 | 0.53 | 1.23 | 0.38 | 0.18 | 0.56 | 0.28 | 0.10 | 0.39 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | 7.40 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 3.85 | 1.03 | 1.2 | 1.46 | 1.59 | 3.04 | 1.64 | 0.74 | 2.38 | 1.87 | 0.51 | 2.37 | 1.20 | 0.53 | 1.72 | 0.58 | 0.56 | 1.14 | 0.38 | 0.28 | 0.00 | 0.66 | 17.39 |
| | कुल | 76.27 | 31.27 | 36.22 | 26.58 | 32.29 | 58.87 | 31.58 | 40.47 | 72.05 | 35.99 | 35.53 | 71.52 | 26.96 | 29.12 | 56.08 | 34.23 | 33.24 | 67.47 | 26.24 | 25.22 | 3.47 | 54.93 | 524.68 |
